



75
आजादी का
अमृत महोत्सव

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

SPEED POST

आदेश

द्वारा पारित:

कार्यकारी निदेशक [प्रशासन] और
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
ए ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाई अड्डा,
नई दिल्ली 110003

के मामले में:

श्री अभिषेक शर्मा,
34/394, प्रताप नगर,
टोंक रोड, नियर के वी न.6,
सांगानेर, जयपुर, राजस्थान,
पिन-302033

Order No: 109/Appeal/ED [Admn]/2022

03 जनवरी 2023

1.0 प्रस्तावना

- 1.1 यह आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 के तहत किया गया है।
- 1.2 अपील उस तारीख से 90 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है जिस दिन यह आदेश दिया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था।

2.0 तथ्य

- 2.1 श्री अभिषेक शर्मा ने एक आरटीआई दिनांक 01.07.2022 के माध्यम से कुछ जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया है।

Advt.No.01/2017/NR की भर्ती प्रक्रिया चयन में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा सर्तकता निदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली की अनुषंशा एवं निर्देशों का पालन 30 माह पश्चयात भी नहीं करने पर मुख्य सर्तकता अधिकारी एवं सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली, द्वारा दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2022 तक के लिए/किए गए सभी Action taken Reports/instruction के दस्तावेजों/सूचनाओं की सत्यापित प्रतियाँ मुझे उपलब्ध करवाये?????

- 2.2 अपीलकर्ता ने एक ऑफलाइन अपील दिनांक 12.08.2022 को यह कहते हुए प्राथमिकता दी है, " मैं पूर्णतया संतुष्ट नहीं हूँ " आरटीआई प्रथम अपील के पाठ में।

3.0 निष्कर्ष/आदेश

Reports/instruction के दस्तावेजों/सूचनाओं की सत्यापित प्रतियाँ मुझे उपलब्ध करवाये?????


2.2 अपीलकर्ता ने एक ऑफलाइन अपील दिनांक 12.08.2022 को यह कहते हुए प्राथमिकता दी है, "में पूर्णतया संतुष्ट नहीं हूँ" आरटीआई प्रथम अपील के पाठ में।

3.0 निष्कर्ष/आदेश

3.1 मामले को देखने के बाद, यह देखा गया है कि महाप्रबंधक (मानव संसाधन) ने आवेदक को डाक के माध्यम से पत्र संख्या DC-60012(11)/64/2021-HR/359 dated 29.07.2022 को एक उत्तर भेजा है। सीपीआईओ/महाप्रबंधक (एचआर) द्वारा दिया गया उत्तर सही है।

3.2 तदनुसार, ऑफलाइन मोड में प्राप्त अपील दिनांक 12.08.2022 जो कि दोबारा E-mail के जरिये दिनांक 21.11.2022 को प्राप्त हुई थी, को निस्तारित किया जाता है।

3.3 यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकारी के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो अपीलकर्ता सीआईसी भवन, बाबा गंग नाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टर, पुराना जेएनयू परिसर, मुनिरका, नई दिल्ली, दिल्ली 110067 में दूसरी अपील के लिए संपर्क कर सकता है।



(रवि कांत)

कार्यकारी निदेशक [प्रशासन] और
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

- श्री अभिषेक शर्मा, 34/394, प्रताप नगर, टोंक रोड, नियर के वी न.6, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान, पिन-302033
- महाप्रबंधक (मानव संसाधन) एन.डी- जानकारी हेतु